न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1364–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.7.10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 252/2007–08/अपील.

———

सन्तप्रकाश पुत्र श्री लालता प्रसाद
निवासी ग्राम चन्दूपुरा तहसील
व जिला भिण्ड ——— आवेदक

विरूद्ध

कृष्ण मुरारी पुत्र रामदुलारे
निवासी ग्राम चन्दूपुरा तहसील
व जिला भिण्ड ——— अनावेदक

———

श्री रामसेवक शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9 फरवरी, 15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 252/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.7.10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गईं हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक संतकुमार द्वारा विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया गया कि ग्राम चन्दूपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 232 मिन रकबा 2.680 जिसके नये सर्वे नंबर 6.6, 610.611 एवं 612 निर्मित किए गए हैं के अक्श में त्रुटि की गई है । अतः उसे दुरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिक़ारी द्वारा इस आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 27–3–06 द्वारा प्रकरण कमांक 17/2004–05/सी–129 में पारित

आदेश दिनांक 13–5–05 में कोई परिवर्तन नहीं किया । इस आदेश के विरूद्ध अपील किए जाने पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 8–2–08 द्वारा अपील निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अधिकारिता रहित है क्योंकिसंहिता की धारा 107 के अनुसार नक्शे में सुधार किए जाने की अधिकारिता केवल कलेक्टर को ही हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही मनमाने ढंग से विधि विरूद्ध तरीके से की गई है । पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक, भू–अभिलेख का कथन नहीं कराया गया है और ना ही आवेदक को सुनवाई एवं प्रति परीक्षण का अवसर दिया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किए जाने एवं प्रकरण सक्षम न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में जो कि अक्स में परिवर्तन के संबंध में है विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत जांच उपरांत आवेदन अस्वीकार किया गया । जिसकी पुष्टि अपील में अधीनस्थ न्यायालयों ने की है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीक्षक, भू–प्रबंधन, भिण्ड से विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण कराया गया । राजस्व निरीक्षक, ने स्थल निरीक्षण के उपरांत जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया कि अभिलेख नक्शा मौके मुताबिक सही मिलान खाता है और सहायक बंदोवस्त अधिकारी, भिण्ड द्वारा उनके आदेश दिनांक 13.5.05 तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश द्वारा पूर्व में ही नक्शे में सुधार किया जा चुका है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण के समस्त तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा न्यायदृष्टांत 1988 भाग–दो एम.पी.डब्लू.एन. 215 का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायदृष्टांत में निर्धारित मापदण्ड कि समवर्ती निष्कर्ष बंधनकारी होते हैं और उनमें हस्तक्षेप नहीं किया

जा सकता, के आधार पर अपील को अस्वीकार किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । प्रकरण में में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होनेसे निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर